न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 78/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. राजेन्द्र कुमार उर्फ सुरजमल पुत्र नेमीचन्द जाति माली निवासी— सोजत सिटी, तहसील— सोजत सिटी, जिला— पाली।		01. जीवाराम पुत्र धनाराम जाति माली 02. रामकिशन पुत्र जीवाराम जाति माली निवासीयान— सोजत सिट, तहसील— सोजत, जिला— पाली। 03. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री सोहनलाल गौराणा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
02. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 07/11/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक नम्बर 2 में प्रार्थी के दादा तुलछाराम पुत्र गणेश जाति माली निवास— सोजत सिटी के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आई हुई है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 715 रकबा साढे छः बीघा, 716 रकबा पौणे सौलाह बीघा व 718 रकबा सौलाह बीघा चार बिस्वा की भूमि आई हुई है। उक्त भूमि का जोधपुर राज दरबार के समय प्रार्थी के दादा तुलछा बेटा गुणेश जाति माली के नाम से पट्टा जारी किया था। उक्त भूमि खाता नम्बर 13 में दर्ज थी, जो गित 1960 में पट्टा नम्बर 192 जारी किया था, जो भू—प्रबंध अधिकार बैशाक सुदी तैरस गित संवत् 1960 को जोधपुर दरबार के समय जारी किया था। उक्त भूमि के नए खसरा नम्बर 715 व 716 के 3443, 718 के 3445, 3446, 3447 कुल रकबा 5.93 हैक्टर किस्म मेहन्दी है। राजस्थान राज्य बनने के पूर्व जोधपुर रियासत थी तथा सोजत जोधपुर रियासत के अधीन था। जोधपुर रियासत के समय मारवाड टीनेन्सी एक्ट लागू था, तत्पश्चात् राजस्थान राज्य घोषित किया गया। इसके पूर्व मारवाड टीनेन्सी एक्ट 1949 था। सेटलमेन्ट अधिकारियों ने प्रार्थी के दादा तुलछा बेटा गुणेश के नाम की मारवाड टीनेन्सी एक्ट के समय खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा वादग्रस्त भूमि होने के बावजूद बिना किसी विधिक अधिकार के एवं बिना न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि धन्ना पुत्र भाणा के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियों को मात्र खातेदारो के नाम रीपिट करने का ही अधिकार था। इस प्रकार सेटलमेन्ट अधिकारियों ने अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त प्रार्थी के दादा तुलछा बेटा गुणेश के स्थान पर धना पुत्र भाणा बिना किसी विधिक अधिकार के दर्ज कर दिया। उक्त वादग्रस्त भूमि पर कभी भी धन्ना पुत्र भाणा का कब्जा काश्त नहीं था नही था न ही है। धना के देहान्त के बाद उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 जीवाराम व उसके पुत्र रामाकिशन के नाम विधि विरूद्ध ढंग से खातेदारी में दर्ज कर दी जबकि जीवाराम व रामकिशन का भी आज दिन तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है अर्थात् धन्ना के जीवनकाल में उसका तथा धना के देहान्त के बाद जीवाराम व अन्य अप्रार्थीगण का भी आज दिन तक कब्जा काश्त नहीं रहा है। मात्र सेटलमेन्ट अधिकारियों ने सेहवन से तुलछा बेटा गुणेश कौम माल के स्थान पर धन्ना बेटा भाणा का नाम विधि विरूद्ध ढंग से इद्राज कर दिया जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला पाली)

पर धन्ना बेटा भाणा के जीवनकाल में उनका तथा धन्ना के देहान्त के बाद जीवाराम का व अन्य अप्रार्थीगण का आज दिन तक उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। बल्कि आज दिन तक अर्थात् प्रार्थी के दादा तुलछाराम के जीवनकाल में उनका तथा उनके फौतेदगी के बाद प्रार्थी का आज दिन तक शांतिपूर्वक, बिना किसी रोक–टोक एवं बाधा के निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में मेहदी की फसल बोई है, जिसे प्रार्थी ने मेहन्दी की फसल की लटाई, कटाई व अवराइ आज दित तक करता रहा। प्रार्थी के दादा तुलछा बेटा गुणेश ने प्रार्थी के पटटा में एक वसीयतनामा दिनांक 14.01.1983 को अपना व अपनी पत्नी इमरती का अंगुष्ठ निशान कर व गवाहान के हस्ताक्षर कर निष्पादित किया था। तुलछाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध ढंग से धना बेटा भाणा के नाम भुलवश दर्ज करने पर सेटलमेट अधिकारियों के समक्ष उजदारी पेश की, लेकिन राजस्थान राज्य घोषित होने से किसी प्रकार की कोई उजदारी में कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी के दादा तुलछा ने समाज को इकठा कर सामाजिक स्तर पर समाज की हथाई बड़ा बास में समाज को इकठा किया व धन्ना बेटा भाणाा ने समाज के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष लिखित फारकती संवत् 1998 में निष्पादित कर अपने अंगुष्ठ निशान किया। जिससे धन्ना व उसके वारिसान जीवाराम व उसका पुत्र रामकिशन पाबंद है। जोधपुर दरबार का पट्टा, लिखित फारकती व वसीयतनामा की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मारवाड टीनेन्सी एक्ट के समय प्राथी के दादा तुलछा बेटा गुणेश के नाम की पुराने खसरा नम्बर 715, 716 व 718 खातेदार व कब्जा काश्त भूमि होने के बावजूद भी सेटलमेन्ट अधिकारियों ने विधि विरूद्ध ढंग से व न्यायालय के आदेश के बिना धन्ना बेटा भाणा कौम माली के नाम दर्ज कर दी, जिसकी सेटलमेन्ट अधिकारीयों को कोई कानून अधिकार नही था व सेटलमेन्ट अधिकारियों को मात्र मारवाड टीनेन्सी एक्ट के स्थान पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर खातेदारी का रिपिट करने का ही अधिकार था, जो सेटलमेन्ट अधिकारीअपने अधिकारो से परे जाकर धन्ना बेटा भाणा कौम माली के नाम खातेदारी दर्ज कर दी । सेटलमेन्ट संवत् 2029– 2030 में धन्ना के स्थान पर जीवाराम पुत्र धन्नाराम नाम दर्ज कर दिया। इसी प्रकार विधि विरूद्ध ढंग से नए खसरा नम्बर 3447 रकबा 0.3100 हैक्टर रामाकिशन पुत्र जीवराज अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी। उपरोक्त विधि विरूद्धढंग से हुई खातेदारी में नाज दर्ज से प्रार्थी पाबंद नहीं है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर आज भी कब्जा काश्त प्रार्थी के दादा तुलछा पुत्र गुणेश के जीवनकाल में तथा उनके द्वारा वसीयतनामा दिनांक 14.01.1983 प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करने से तथा तुलछा के देहान्त के बाद प्रार्थी वसीयतीकर्ता होने से प्रार्थी का शांतिपूर्वक बिना किसी रोक–टोक बाधा के निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है । मेहन्दी की फसल अराई, कटाई, बुवाई, आदि करता रहा, इस प्रकार एडर्स पजेशन के आधार पर भी प्रार्थी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की नकले ली तब उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी होने की जानकारी हुई, तब प्रार्थी ने दिनांक 06.05.2022 को खातेदारी में प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने हेतु अप्रार्थीगण को निवेदन किया, तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के नाम खातेदार दर्ज करने से मना कर दिया व एलानियां धमकियां देता कि वादग्रस्त भूमि का विधि विरूद्ध ढंग से खातेदारी में नाम दर्ज होने स उक्त भूमि का बेचान, हस्तांतरण कर देंगे व कब्जे से बेदखल कर देंगे। अप्रार्थीगण जबरदस्ती वादग्रस्त भूमि का बेचान, हस्तांतरण कर प्रार्थी को कब्जे से बेदखल कर देंगे तो प्रार्थी को रूप्यों में नहीं आंके जा सकने वाली अपूर्णिय क्षति होगी, इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी के इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि ताफैसला मूल वाद सरहद मौजा सोजत चक नम्बर 2 में स्थित पुराने खसरा नम्बर 715, 716 718 जिसके नए म्बर 3443, 3445, 3446, 3447 कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.93 हैक्टर प्रार्थी के कब्जा काश्तसुदा भूमि मेहन्दी की फसल की लटाई, कटाई व अवराई में अप्रार्थीगण कोई दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न ही अपने नौकरो, एजेन्टों से करावे तथा उक्त वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण संख्या एक दो बेचान, हस्तातरण न तो स्वयं करे एवं न ही अपने नौकरो एजेन्टो से कराने की ईस्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के पुराने खसरा नम्बर 715, 716 व 718 की कृषि भूमि को तुलसाराम पुत्र गणेशराम के नाम से होना बताया है जो गलत व असत्य है। जिसे प्रार्थी अपने दस्तावेजातों से स्वयं साबित करे। प्रार्थी ने तुलसाराम को अपना दादा होना बताया है किन्तु प्रार्थी ने तुलसाराम की कोई वंशाावली भी प्रकट नहीं की है। प्रार्थी ने जोधपुर दरबार के समय का खाता संख्या 13 विक्रम संवत् 1960 में पट्टा संख्या 192 जारी करना बताया है जो असत्य है। प्रार्थी ने विक्रम संवत् 1960 के समय भू–प्रबंधक अधिकारी द्वारा पट्टा जारी करने की बात लिखी है। जबकि ऐसा कोई पट्टा प्रार्थी ने पेश नही किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित दस्तोज एक सादा कागज पर लिखा हुआ पेश किया है जो कि प्रमाणित दस्तावेज नहीं है तथा उस पर किसी भू सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर, सील, मोहर आदि लगी हुई नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ऐसा फर्जी दस्तावेजात तैयार कर राजस्व वाद एंव अस्थाई निषेधाज्ञाए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी खसरा नम्बर 715, 716 व 718 से नया खसरा नम्बर 3443, 3445, 3446 एवं 3447 बनने बताए है जो खसरा मिलान से भलीभांति साबित है। गत खसरा नम्बर 715, 716, 718 व 718/1 कुल रकबा 41 बीघा एवं 5 बिस्वा की कृषि भूमि का पट्टा बाप ग्राम सोजत चक द्वितीय रियासत जोधुपर दरबार राज मारवाड के द्वारा जारी किया गया है जो धन्ना बेटा भाना के नाम से जारी सुदा है जो दिनांक 25.08.1945 को जारी हुआ है जो रियासत काल के दौरान जारीसुदा है। जिस पट्टे को जारी किए हुए करीब 87 वर्ष हो चुके हे। इससे पूर्व भी उक्त कृषि भूमि धन्ना पुत्र भाना के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त की चली आ रही है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि कत्तई तुलसा के खातेदारी, कब्जा काश्त की नहीं थी। जोधपुर रियासत काल अवश्य चला था तथा उस समय जागीरी एक्ट प्रभाव में था। सन् 1952 में जागीर एक्ट को रिज्यूम कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू किया गया था, जिस समय जागीरी एक्ट रिज्यूम हुआ उस समय धन्ना पुत्र भाणा बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा था तथा उस समय उक्त कृषि भूमि धन्ना पुत्र भाना के नाम से ही चली आ रही थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने पर भी धन्ना पुत्र भाना ही बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है एवं उक्त कृषि भूमि पर धन्ना पुत्र भाना का ही लगातार उनके जीवनकाल से कब्जा काश्त चला आ रहा था ताकि वर्तमान में अपार्थी संख्या एक व दो बतौर खातेदार अपने पिता व दावा के जीवनकाल से लगातार बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहा है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त कृषि भूमि में मेहदी की फसल लगाए हुए करीब 40 वर्ष हो चुके हैं। मेहन्दी की अवेराई, कटाई निदाण आदि लगातार अप्रार्थी संख्या एक व दो के द्वारा करवाया जा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थी के पिता का कभी भी कब्जा अप्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर नहीं देखा है, न ही कभी काश्त करते देखा है। प्रार्थी ने तुलसा पुत्र गुणेश को अपना दादा बताया है जो प्रार्थी स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थी ने तुलसा की वंशावली नही बताई है तथा जान बुझकर तथ्य छुपाएं है। प्रार्थी ने सेटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा तुलसा बेटा गुणेश के स्थान पर धन्ना पुत्र भाणा के नाम खातेदारी दर्ज करने के कथन किए है लेकिन उक्त खातेदारी धन्ना पुत्र भाना के नाम कब किस वर्ष दर्ज की गई, प्रार्थी ने अपने अभिवचनों में नहीं बताया है। कौन से सेटलमेन्ट में नाम परिवर्तित किया गया नहीं बताया है । गत खसरा संख्या 715, 716, 718, 718/1, 565 की कृषि भूमि का बापी पट्टा दिनांक 25.08.1945 से जारीसुदा है, जो पट्टा धन्ना बेटा भाना के नाम से जारी सुदा है। उसके बाद प्रथम सेटलमेन्ट संवत् 2010 से 2019 चला, जिस समय भी उक्त कृषि भूमि के खातेदार धन्ना पुत्र भाना ही थे। जो खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010 से 2019 से भलीभांति साबित है। इसके बाद उक्त कृषि भूमि का सेटलमेन्ट चला गया तथा गत खसरा नम्बरों से नए खसरा नम्बर लगाए गए है उस समय संवत् 2028 से 2030 में भू खातेदार धन्ना पुत्र भाणा ही था। ऐसी स्थिति से यह स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा कोई किसी प्रकार की गलती एवं त्रुटि नहीं हुई है, न ही सेटलमेन्ट अधिकारी ने

उप खण्ड अधिकारी

कोई खातेदारी कृषि भूमि को परिवर्तित की है। सेटलमेन्ट अधिकारियों ने धन्ना पुत्र भाना के स्थान पर धन्ना पुत्र भाना के नाम से ही खातेददारी दर्ज की गई है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि धन्ना पुत्र भाना का कब्जा काश्त नहीं रहा हो। प्रार्थी ने धन्ना पुत्र भाना के देहानत के बाद उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 जीवाराम व उसके पुत्र रामाकिशन के नाम विधिविरूद्ध दर्ज करने के कथन किए है, जो प्रार्थी के कथन सरासर गलत एवं झुठ है। जबकि अप्रार्थी बतौर खातेदार मालिक के काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भूमि अप्रार्थीगण द्वारा ही काश्त करवाई जा रही है। अप्रार्थीगण के पिता धन्नाराम ने वर्ष 2003 में उक्त कृषि भूमि पर भूमि विकास बैंक से उदार लेकर उक्त राशि से खसरा नम्बर 3443, 3445 से तारबंद करवाई एंव एक टयूबवैल खुदवाई एवं एक समरसीवल मोटर पाईप लाईन लगवाए तथा उक्त भूमि पर 21 बाई 31 फीट व 6.5 फट गहरा एक पानी का होद भी बनवाया है। उसके बाद अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 3443 3445 के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में दीवार बनवाई है एवं एक लौहे ही फाटक भी गावई गई है जो मौके पर मौजूद है। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। किस सेटलमेन्ट के समय इन्द्राज परिवर्तित किया गया प्रार्थी ने नहीं बताया है। तुलसाराम का स्वर्गास कब किस वर्ष में हुआ, प्रार्थी ने नहीं बताया है। प्रार्थी ने फौतेदगी का नामान्तरण कब व किस वर्ष में किया गया है नहीं बताई है। प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त उक्त भूमि पर नहीं है, न ही प्रार्थी के पिता का कब्जा काश्त कभी राह है। प्रार्थी का यह लिखन पूर्णतया गलत है कि प्रार्थी ने मेहन्दी की फसल बोई हो तथा उसकी अवेराई कटाई आदि प्रार्थी द्वारा की जा रही हौ। प्रार्थी ने अपने दादा तुलसाराम अपने पत्नी इमरती के द्वारा दिनांक 14.01.1983 को प्रार्थी के हक में एक वसीयतनामा निष्पादित करने के कथन किए है। जब दिनांक 14.01.1983 को उक्त कृषि भूमि का खातेदार तुलसाराम व इमरती देवी थे ही नही तो वसीयतनामा लिखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वसीयतनामा पर लिखने वाले के हस्ताखर भी फर्जी व कुटरचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयतननाा देखने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि उक्त वसीयतनामा फर्जी एवं कूटरचित है। तुलसीराम का स्वर्गवास कब व किस समय हुआ प्रार्थी ने नहीं बताया है। प्रार्थी ने तुलसाराम द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध दर्ज से धन्ना बेटा भाना के नाम से भूलववश दर्ज करने पर सेटलमेट अधिकारियों के समक्ष उजरदारी पेश करने के कथन किए है लेकिन उक्त उजरदारी कब किस वर्ष तथा कहां पर पेश क गई, वादपत्र में नही बताया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज उज्रदारी बाबत् पेश करने के संवंध में पेश नहीं किए है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के उक्त कथन गलत एवं झुठ है। प्रार्थी ने अपने दादा तुलसा के द्वारा समाज को इकठा कर सामाजिक व्यक्तियों के समक्ष एक लिखित संवत् 1998 को निष्पादित करने के कथन अंकित किए है जो तथ्य गलत एवं झूठ है। दिनांक 14.01.1983 को प्रार्थी द्वारा तथाकथित वसीयतनामा में संवत् 1998 में धन्ना पुत्र भाना के विरूद्ध उजरदारी पेश करने के कथन अंकित किए हुए है, जिसको करीब 90 वर्ष हो चुका है, इतने वर्षो तक प्रार्थी एवं उनके पिता कैसे चुप रहे है। प्रार्थी ने तुलसा के द्वारा उजरदारी पेश करने के कथन किए लेकिन उक्त उजरदारी के संवंध में कोई दसतावेज पेश नही किया है। जिससे स्परूष्ट है कि उक्त कथन मनगढंत एवं झुठे है। उक्त वसीयतनामा फर्जी एवं कूटरचित है। वसीयतनामा स्टाम्पित भी नहीं है तथा वसीयतनामा के प्रथम पृष्ठ पर किसी के भी हस्ताक्षर भी नहीं है। धन्ना पुत्र भाना के नाम से दिनांक 25.08.1945 को वापी पट्टा जारी किया हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पहले का है, जिससे स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थी बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। धन्ना पुत्र भाना के फौत होने के बाद फौतेदगी नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी ने सेटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा ख्खसरा नम्बर 715, 716, 718 की कृषि भूमि को तुलसा बेटा गुणेश के स्थान पर धन्ना बेटा भाणा के नाम दर्ज करने के कथन अंकित किए है, लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा किस वर्ष परिवर्तित किया नहीं बताया है, कौनसे सेटलमेन्ट के समय नाम परिवर्तित किया नहीं बताया है, जबकि संवत् 2010–2019 यादि वर्ष 1953 में चला प्रथम सेटलमेन्ट से पहले से ही धन्ना पुत्र भाना

उप खण्ड अधिकारी
पोजत (जिला-पाली) राज

बतौर खातेदार चला आ रहा था, सेटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तुलसा बेटा गुणेश कत्तई उक्त कृषि भूमि का खातेदार नहीं था, न ही कभी उनके नाम की खातेदार रही है। आरटी एक्ट 1956 से लागू किया गया है, इससे पहले से ही धन्ना पुत्र भाना बतौर खातेदार चला आ रहा था तथा सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा संवत् 2010–2019 के खतौनी बंदोबस्त में एवं दौरान द्वितीय सेटलमेन्ट में संवत 2028 से 2030 के खसरा मिलान में पूर्व में दर्ज धन्ना पुत्र भाना के नाम से ही खातेदारी दर्ज की गई, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 3447 रकबा 0.3100 हैक्टर विधि रूिद्ध तरीके से रामकिशन पुत्र जीवाराम के नाम दर्ज करने के कथन किए है, जो सरासर गलत एवं झूठ है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 02 की खरीदसूदा खातेदारी कब्जा काश्त की है। अप्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि में लगी मेहन्दी की फसल की अवेराई कटाई निदान आदि हेतु एंव काश्त करने हेतु गोरधन पुत्र भूराराम ललित टाक पुत्र राजेन्द्र राम को भोग पेटे दिया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा हासल प्राप्त करता है एंव काश्त करवाता है। प्रार्थी द्वारा तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 14.01. 1983 फर्जी कुटरचित है, जिस पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान भी फर्जी है तथा अनस्टाम्पित है, जिससे उक्त दस्तोज कत्तई साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। उक्त वसीयतनामा एंव लिखित अप्रार्थीगण के हक अधिकारो के विरूद्ध बेअसर शून्य एवं अप्रभावी है, जिससे प्रार्थी को कोई हक व अधिकार उत्पन्न हीं होते है। प्रार्थी ने पूर्व में ही उजरदारिया पेश करने के कथन किए है, जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त की होने की जानकारी भलीभांति थी, जब प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है ही नहीं तो दखलअंदाजी पैदा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी की किसी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है। अप्रार्थीगण क पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिस पर अप्रार्थीगण बतौर खातेदार शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी एवं कुटरचित है, जिसके आधार पर प्रार्थी कत्तई खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार काबिज काश्त है जिनके विरूद्ध कत्तई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त कृषि भूमि अथा इसके किसी भाग पर प्रार्थी का कभी भी ना तो कब्जा था और न ही है बल्कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ही मेहन्दी की फसल बोई हुई है और व सदैव से मेहन्दी की फसल बोकर उसे उत्पादन से अपना काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी ने अपने वादपत्र में भी वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाने की कोई ईस्तदुआ नहीं मांगी है। कब्जे केय अभाव में प्रार्थी घोषणा की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान सूनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दोराने बहस लिखित बहस प्रस्तुत की जो इस प्रकार है। सरहद मौजा सोजत सिटी चक नम्बर 2 में प्रार्थी के दादा तुलछाराम पुत्र गणेश जाति माली निवासी सोजत सिटी के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आई हुई थी। जिस पुराने खसरा नम्बर 715 रकबा साढे छ बीघा, 716 रकबा पौणे सौलाह बीघा तथा 718 रकबा सौलाह बीघा चार बिस्वा की भूमि आइ हुई है। उक्त भूमि का जोधपुर राज दरबार के समय प्रार्थी के दादा तुलछा बेटा गुणेश जाति माली के नाम से पट्टा जारी किया था तथा उक्त भूमि खाता नम्बर 13 में दर्ज थी, जो विगत संवत् 1960 में पट्टा नम्बर 92 जारी किया था जो भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा वैशाक सुदी तैरस विगत संवत् 1960 को जोधपुर दरबार के समय जारी किया था। उक्त भूमि के नए खसरा नम्बर 715 व 716 के नए खसरा नम्बर 3443 रकबा 4.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 718 के नए खसरा नम्बर 3445 रकबा 1.2900 हैक्टर, खसरा 78 के नए खसरा नम्बर 3446 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नम्बर 718 के नए खसरा नम्बर 3447 रकबा 0.300 हैक्टर है। राजस्थान राज्य बनने के पूर्व जोधपुर रियासत थी तथा सोजत सिटी जोधपुर रियासत के अधीन था, जोधपुर रियासत के समय मारवाड टीनेन्सी एक्ट लागू था, तत्पश्चात् राजस्थान राज्य घोषित किया गया। तब राजस्थान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू किया गया, इसके पूर्व मारवाड टीनेन्सी एक्ट 1949 था। सेटलमेन्ट अधिकारियों ने प्रार्थी के दादा तुलछा बेटा गुणेश के नाम की मारवाड टीनेन्सी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

एक्ट के समय खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा वादग्रस्त भूमि होने के बावजूद बिना किसी विधिक अधिकार के एवं बिना न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि धन्ना पुत्र भाणा के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। जबकि सेटलमेन्ट अधिकरियों को मात्र खातेदारो के नाम रीपिट करने का ही अधिकार था। इस प्रकार सेटलमेन्ट अधिकारियों ने अपने अधिकारो से परे जाकर उक्त प्रार्थी के दादा तुलछा बेटा गुणेश के स्थान पर धन्ना पुत्र भाणा बिना किसी विधिक अधिकार के दर्ज कर दिया। उक्त वादग्रस्त भूमि पर कभी भी धन्ना पुत्र भाणा का कब्जा काश्त नहीं था न ही है। धन्ना के देहान्त के बाद उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 जीवाराम व उसके पुत्र रामाकिशन के नाम विधि विरूद्ध ढंग से खातेदारी में दर्ज कर दी। जीवाराम व रामकिशन का भी आज दिन तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अर्थात् धन्ना के जीवनकाल में उसका तथा धन्ना के देहांन्त के बाद जीवाराम व अन्य अप्रार्थीगण का भी आज दिन तक कब्जा काश्त नहीं रहा है। मात्र सेटलमेन्ट अधिकारियों ने सेव से तुलछा बेटा गुणेश कौम माली के स्थान पर धन्ना बेटा भाणा के नाम विधि विरूद्ध ढंग से इन्द्राज कर दिया। जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि पर धन्ना बेटा भाणा के जीवनकाल में उनका तथा धन्ना के देहान्त के बाद जीवाराम का व अन्य अप्रार्थीगण का आज दिन तक उपरोक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। बल्कि आज दिन तक अर्थात् प्रार्थी के दादा तुलछाराम के जीवनकाल में उनका तथा उनके फौतेदगी के बाद प्रार्थी का आज दिन तक शांतिपूर्वक बिना किसी रोक–टोक एवं बाधा के निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में मेहन्दी की फसल बोई है। जिसे प्रार्थी मेहन्दी की फसल की लटाई, कटाई व अवराई आज दिन तक करता रहा है। प्रार्थी के दादा तुलछा बेटा गुणेश ने प्रार्थी के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 4.01.1982 को अपना व अपनी पत्नी इमरती का अंगुष्ठ निशान कर व गवाहान के हस्ताक्षर कर निष्पादित किया था। तुलछाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि सेटलमेन्ट अधिकरियों द्वारा विधि विरूद्ध ढंग से धन्ना बेटा भाणा के नाम भुलवश दर्ज करने पर सेटलमेन्ट अधिकारियों के समक्ष उज्रदारी पेश की। लेकिन राजस्थान राज्य घोषित होने से किसी पक्षकार की कोई उज्रदारी में कार्यवाही नहीं की गई। तब प्रार्थी के दादा तुलछा ने समाज को इकठा कर सामाजिक स्तर पर समाज की हथाई बडा बास में समाज को इकठा किया व धन्ना बेटा भाणा ने समाज के मौजिज व्यक्यिों के समक्ष लिखित फारकती संवत् 998 में निष्पादित कर अपने अंगुष्ठ निशान किया। जिससे धन्ना व उसके वारिसान जीवाराम व उसका पुत्र रामकिशन पाबंद है। जोधपुर दरबार का पट्टा, लिखित फारकती व वसीयतनामा की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मारवाड टीनेन्सी एक्ट के समय प्रार्थी के दादा तुलछा बेटा गुणेश के नाम की पुराने खसरा नम्बर 75, 716 व 718 खातेदारी व कब्जा काश्त भूमि होने के बावजुद भी सेटलमेन्ट अधिकारियों ने विधि विरूद्ध ढंग से व न्यायालय के आदेश के बिना धन्ना बेटा भाणा कौम माली के नाम दर्ज कर दी। जिसका की सेटलमेन्ट अधिकारी को कोई कानूनी अधिकार नहीं था व सेटलमेन्ट अधिकारियो को मात्र मारवाड टीनेन्सी एक्ट के स्थान पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर खातेदारी का रिपिट करने का ही अधिकार था। सेटलमेन्ट अधिकारी अपने अधिकारो से परे जाकर धन्ना बेटा भाणा कौम माली के नाम खातेदारी दर्ज कर दी व सेटलमेन्ट संवत् 2029–30 धन्ना के स्थान पर जीवाराम वल्द धन्नाराम के नाम दर्ज कर दिया। इसी प्रकार विधि विरूद्ध ढंग से नए खसरा नम्बर 3447 रकबा 0.3100 हैक्टर रामाकिशन पुत्र जीवराज अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी। उपरोक्त विधि विरूद्ध ढंग से हुई खातेदारी में नाम दर्ज से प्रार्थी पाबंद नहीं है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर आज भी कब्जा काश्त प्रार्थी के दादा तुलछा पुत्र गणेश के जीवनकाल में तथा उनके द्वारा वसीयतनामा दिनांक 14.0.1983 प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करने से तथा तुलछा के देहान्त के बाद प्रार्थी वसीयर्तीकर्ता होने से प्रार्थी का शांतिपूर्वक बिना किसी रोक–टोक बाधा के निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है व मेहन्दी की फसल अवराई, कटाई, बुवाई, आदि करता रहा । इस प्रकार एडवर्स पजेशन के आधार पर भी प्रार्थी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की नकले ली तब उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण के नाम, खातेदारी होने की जानकारी हुई, तब प्रार्थी ने दिनांक 06.05.2022 को खातेदारी में प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने हेतु अप्रार्थीगण को निवेदन किया।

उप खण्ड अधिकारी
मोजत (जिला-पाली) राज.

अप्रार्थीगण प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज कराने से मना कर दिया व एलानियां धमकीयां दी कि वादग्रस्त भूमि का विधि विरूद्ध ढंग से खातेदारी में नाम दर्ज होने से उक्त भूमि का बेचान, हस्तांतरण कर देंगे व कब्जे से बेदखल कर देंगे। अप्रार्थीगण जबरदस्ती वादग्रस्त भूमि का बेचान, हस्तांतरण कर प्रार्थी के कब्जे से बेदखल का देंगे तो प्रार्थी को रूपयों में नहीं आकें जा सकने वाली अपूर्णिय क्षति होगी, इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हो गया। प्रथम दृष्टया ठोस केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति तीनो बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि प्रार्थी के दादा तुलछा बेटा गुणेश को जोधपुर दरबार के समय उक्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार था व आज दिन तक शांतिपूर्वक तुलछा बेटा गुणेश के जीवनकाल में तथा तुलछा बेटा गुणेश के देहान्त के बाद प्रार्थी का शांतिपूर्वक, बिना किसी रोक–टोक एवं बाधा के निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी मेहन्दी की फसल की कटाई, लटाई व अवरोई करता रहा है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया। जिस पर अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया, जवाब में अप्रार्थीगण ने प्रार्थना मत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया। प्रथम दृष्टया ठोस केस दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि प्रार्थी के दादा तुलछा बेटा गुणेश के नाम से दरबार राज जोधपुर से उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात की कृषि भूमि का पट्टा विक्रम संवत् 1960 को जारी किया गया, जबकि अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के पिता के नाम का पट्टा विक्रम संवत् 2002 प्रथम भाद्रपद कृष्ण–2 शनिवार दिनांक 25.08.1945 को जारी करना बताया। प्रार्थी के दादा के नाम का पट्टा वैशाख सुदी तैरस, विक्रम संवत् 1960 को जारी किया गया, इस प्रकार प्रार्थी के दादा के पक्ष में पट्टा जारी करना बखुबी साबित है तथा माफिक कानून पुराने दस्तावेज को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पिता के नाम से जारी पट्टा फर्जी व कुटरचित है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में दर्शाया कि तथाकथित लिखित फारकती व वसीयतनामा फर्जी व कुटरचित दस्तावेज है, लेकिन अगर उक्त दोनो दस्तावेज फर्जी व कुटरचित दस्तावेज होते तो अप्रार्थीगण अवश्य ही प्रार्थी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाता, लेकिन अप्रार्थीगण ने आज दिन तक कोई फौजदारी प्रकरण प्रार्थी के विरूद्ध पेश नहीं किया, जिससे साफ रोशन है कि तथाकथित लिखित फारकती व वसीयतनामा असल दस्तावेज है तथा उक्त दस्तावेजो का निर्णय भी तनकीयात कायम कर साक्ष्य के उपरान्त ही निर्णय किया जा सकता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाह दाखुडी देवी पत्नी मगाराम, लक्ष्मणराम पुत्र टीकमराम, पोकरराम पुत्र मगाराम व बाबुलाल पुत्र हनुमानराम के शपथपत्र दस्तावेजा के समर्थन में व प्राथी के कब्जे के संदर्भ में पेश किए, जिन्हें नहीं मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अप्रार्थीगण ने उक्त शपथपत्र का कोई खण्डन नहीं किया है तथा न ही अप्रार्थीगण ने अपने कब्जे के संदर्भ में कोई शपथपत्र गवाहान के पेश किए है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ठोस केस प्रार्थी के पक्ष में है। शेष तमाम तथ्य मूल वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य ली लाकर तय करने रहेंगे तथा अप्रार्थी ने अपने आवाज में दर्शाया कि प्रार्थी के दादा के नाम का जारी पट्टा फर्जी व कुटरचित है तथा प्रमाणित प्रतिलिपि व मूल पट्टा नहीं है। प्रार्थी ने उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, पाली को पेश किया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, पाली द्वारा कमांक/रा.लो.सू.अ./336/2021/1589 दिनांक 06.10.2021 को दर्शाया कि चाही गई सूचना के संबंधित सभी रेकर्ड न्यायालय भू–प्रबंध आयुक्त राजस्थान, जयपुर को भिजवा दिए गए, तब प्रार्थी ने अपनी प्राधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त भू–प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर को अपील संख्या 13/2021 पेश की, जिस पर कार्यालय अपील प्राधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त भू–प्रबंध विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा कमांक/फा/भूप्रआ/सूअ/अपील/13/2021/45–16 दिनांक 25.11.2021 को अपील का निर्णय पारित किया ह। उक्त हरदोनो दस्तावेज की फोटो प्रति लिखित बहस के साथ प्रस्तुत है। इसलिए ताफैसला मूल वाद तक रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक एवं न्याय संगत है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि प्रार्थी के दादा तुलछा बेटो गुणेश जाति माली पिडीयार तहसील सोजत के नाम से खाता नम्बर 13 पुराने खसरा नम्बर 715, 716 व 718 की भूमि का पट्टा दरबार जोधपुर द्वारा वैशाख सुदी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

तैरस, विक्रम संवत 1960 को जारी किया गया है तथा लिखित फारकती भी अप्रार्थीगण के
पिता धन्ना बेटा भोना जाति माली ने प्रार्थी के दादा के पक्ष में तकमील व तहरीर कर
साक्ष्यों के समक्ष अपना अंगुठा किया एवं तुलछा राम बेटा गुणेश प्रार्थी के दादा ने प्रार्थी के
पक्ष में दिनांक 14.01.1983 को अन्तिम वसीयतनामा निरूष्पादित किया तथा प्रार्थी के दादा
का देहान्त चैत्रसुदी नवम संवत् 2045 जिनका बारवा 08.04.988 को सामाजिक रिति
रिवाज अनुसार किया गया, जिससे साफ रोशन है कि वर्ष 1988 को वादी के दादा का
देहान्त हुआ तथा वर्ष 1981 में प्रार्थी के दादा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में वसीयतनामा प्रभाव में
आया तथा धारा 88 आरटी एक्ट के वाद के लिए कोई म्याद कानून में तय नहीं की गई
तथा जानकारी होते ही व नकले हेतु प्रयास करने के पश्चात् प्रार्थी ने वाद पेश कर दिया
है। इस प्रकार प्रार्थी के दादा के पक्ष में जारी पूर्व में पट्टा व अप्रार्थीगण के पिता के नाम
जारी तत्पश्चात् पट्टा का निर्णय तनकीयात कायम कर साक्ष्य लिए जाने के बाद ही
निर्णित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष
में है, क्योंकि प्रार्थी के दादा के नाम वैशाख सुदी तैरव ब्रिम संवत् 1960 को दरबार राज
जोधपुर द्वारा पट्टा जारी किया गया व अप्रार्थीगण के पिता धन्ना बेटा भाणा ने प्रार्थी क
दादा के पक्ष में लिखत फारकती तकमील व तहरीर कर अपना अंगुष्ठ निशान गवाह के
समक्ष किया तथा प्रार्थी के दादा ने प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 14.01.1983 को वादग्रस्त भूमि
बाबत् वसीयतनामा निष्पादित किया, इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी किया
जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि
विक्रम संवत् 1960 के समय भू-प्रबंधक अधिकारी द्वारा पट्टा जारी करने की बात लिखी
है। जबकि ऐसा कोई पट्टा प्रार्थी ने पेश नही किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित
दस्तोज एक सादा कागज पर लिखा हुआ पेश किया है जो कि प्रमाणित दस्तावेज नहीं है
तथा उस पर किसी भू सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर, सील, मोहर आदि लगी हुई नहीं है,
जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ऐसा फर्जी दस्तावेजात तैयार कर राजस्व वाद एंव
अस्थाई निषेधाज्ञाए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी खसरा नम्बर 715, 716 व 718
से नया खसरा नम्बर 3443, 3445, 3446 एवं 3447 बनने बताए है जो खसरा मिलान से
भलीभांति साबित है। गत खसरा नम्बर 715, 716, 718 व 718/1 कुल रकबा 41 बीघा
एवं 5 बिस्वा की कृषि भूमि का पट्टा बाप ग्राम सोजत चक द्वितीय रियासत जोधुपर
दरबार राज मारवाड के द्वारा जारी किया गया है जो धन्ना बेटा भाना के नाम से जारी
सुदा है जो दिनांक 25.08.1945 को जारी हुआ है जो रियासत काल के दौरान जारीसुदा
है। जिस पट्टे को जारी किए हुए करीब 87 वर्ष हो चुके हे। इससे पूर्व भी उक्त कृषि
भूमि धन्ना पुत्र भाना के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त की चली आ रही है, जिससे स्पष्ट
है कि उक्त भूमि कत्तई तुलसा के खातेदारी, कब्जा काश्त की नहीं थी। जोधपुर रियासत
काल अवश्य चला था तथा उस समय जागीरी एक्ट प्रभाव में था। सन् 1952 में जागीर
एक्ट को रिज्यूम कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू किया गया था, जिस
समय जागीरी एक्ट रिज्यूम हुआ उस समय धन्ना पुत्र भाणा बतौर खातेदार काबिज काश्त
चला आ रहा था तथा उस समय उक्त कृषि भूमि धन्ना पुत्र भाना के नाम से ही चली आ
रही थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने पर भी धन्ना पुत्र भाना ही
बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है एवं उक्त कृषि भूमि पर धन्ना पुत्र भाना का ही
लगातार उनके जीवनकाल से कब्जा काश्त चला आ रहा था ताकि वर्तमान में अपार्थी
संख्या एक व दो बतौर खातेदार अपने पिता व दावा के जीवनकाल से लगातार बिना
किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहा है। सेटलमेन्ट
से लगातार अप्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिससे रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

पत्रावलीं का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना मय शपथ पत्र / जबाब प्रार्थना पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक
अध्ययन कर लिखित बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की मौखिक दलिलों पर
गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्टेट
टाईम(रियासत काल) के समय जोधपुर दरबार द्वारा जारी उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला पाली) राज

की कृषि भूमि का पट्टा विक्रम संवत् 1960 के आधार तथा ऐडवर्स पजेशन के आधार पर पेश किया है। वस्तुतः पक्षकारों के हक अधिकार का विनिश्चय दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायत होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर किया जावेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में चूकि प्रतिवादी रेकर्डेड खातेदार है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में सिद्ध होता है। अपूर्णीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में सिद्ध होता है। लिहाजा बाद विवेचन / विश्लेषण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, तथ्यहीन एवं पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन/ तथ्यहीन/ एवं पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 07/11/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत